मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2501
03.08.2026 को उत्तर के लिए

विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों का आवंटन

2501. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे :
श्री ज्ञानेश्वर पाटील :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, ग्रीन इंडिया मिशन, वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास, प्रोजेक्ट टाइगर और जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जैसी योजनाओं को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार और योजना-वार इनमें से प्रत्येक योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ग) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में उक्त योजनाओं में से प्रत्येक के अंतर्गत जिला-वार निष्पादित कार्यों और लाभांवित लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

(घ) उक्त राज्यों में इन योजनाओं के तहत सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या और लाभांवित लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल कार्यान्वयन एजेंसियों और वन मंडलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों सहित देशभर में वनों, वन्यजीवों और जलवायु परिवर्तन के संरक्षण के लिए विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। इनमें राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास (आईडीडबल्यूएच), राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के माध्यम से कार्यान्वित बाघ परियोजना और विभिन्न जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) शामिल हैं। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) को वर्ष 2018 से हरित भारत मिशन (जीआईएम) में समाहित कर लिया गया है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन अनुमोदित प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देशों तथा वार्षिक प्रचालन योजनाओं के अनुसार किया जाता है। इन

योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्षवार ब्यौरा अनुलग्नक-**I** पर संलग्न है।

(ग) से (ङ) इन योजनाओं के अंतर्गत वनीकरण, पारिस्थितिकीय पुनर्बहाली, मृदा और नमी संरक्षण, नर्सरी विकास, पर्यावास सुधार, वन्यजीव संरक्षण, अवैध शिकार-रोधी उपाय, पारिस्थितिक विकास, संवेदनशील वन्यजीव पर्यावासों से स्वैच्छिक पुनर्वास, मानव-वन्यजीव संघर्ष का उपशमन, संरक्षणात्मक अवसंरचना, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को सुदृढ़ करना तथा एनएपीसीसी के अंतर्गत अनुकूलन और उपशमन संबंधी कार्यकलापों का कार्यान्वयन जैसे कार्यकलापों में सहायता प्रदान करता है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके वन विभागों और अन्य नामित कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है। कार्यों, रोजगार सृजन, लाभ-प्रदत्त लाभार्थी और कार्यान्वयन अभिकरणों एवं वन मंडलों का जिला-वार ब्यौरा केंद्रीय रूप में मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

अनुलग्नक-I

'विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों का आवंटन' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे और श्री ज्ञानेश्वर पाटील द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2501 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 'वन्यजीव पर्यावासों के विकास' नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी किए गए निधि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	135.77	25.125	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	419.80617	276.44062	672.462	1044.819	1456.2773
4	असम	0	209.1464	565.10763	1234.4652	791.99959
5	बिहार	402.179955	0	336.37223	0	66.69278
6	चंडीगढ़	0	21.6241	16.498	0	0
7	छत्तीसगढ	274.5903	104.457	116.24868	135.58248	16.80041
8	गोवा	0	0	50.10	66.44425	0
9	गुजरात	0	200.01	206.99	801.58248	371.54061
10	हरियाणा	127.331	30.1575	167.85	232.9722	205.32605
11	हिमाचल प्रदेश	197.09452	114.3205	94.15328	172.31067	80.14962
12	जम्मू और कश्मीर	0	0	69.57972	73.97099	53.15445
13	झारखंड	79.53315	0	14.91025	71.93619	4.818
14	कर्नाटक	1256.59314	291.71146	581.52346	800.8205	380.74875
15	केरल	295.7737	224.4735	921.0361	909.63915	597.24019
16	मध्य प्रदेश	389.34906	265.5508	471.81959	740.89064	307.5062
17	महाराष्ट्र	0	350.3879	554.69645	622.0670	497.75553
18	मणिपुर	142.50646	180.64379	231.72407	261.70605	0
19	मेघालय	530.51253	0	243.56611	389.5938	35.50804
20	मिजोरम	198.9678	190.1977	304.207	344.3258	532.43616
21	नगालैंड	342.0315	725.6565	1306.3275	1490.04	998.905
22	ओडिशा	726.80273	967.4976	1005.08612	1108.46011	785.36118
23	राजस्थान	1007.64845	86.78886	0	0	417.55485

24	सिक्किम	182.97174	239.66048	187.03237	221.17	250.9924
25	तमिलनाडु	390.77715	132.95205	373.8902	661.78722	241.73035
26	तेलंगाना	0	0	0	0	39.61404
27	उत्तर प्रदेश	169.06261	266.7472	290.64425	393.86725	389.51196
28	उत्तराखंड	226.34415	212.9662	498.497	652.470665	285.38853
29	पश्चिम बंगाल	757.25599	201.30866	385.29988	183.14895	436.42348
30	पुदुचेरी	0	0	5.22	0	0
31	लक्षद्वीप	462.086	269.9055	124.655	217.185	260.7662
32	दिल्ली	0	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	0	0	186.05514	339.4863	15.39162
34	लद्दाख	31.95	61.11591	6.00	0	0
35	पंजाब	0	0	0	0	0
	कुल	8746.938105	5648.84523	9987.55203	13170.741895	9519.59329

** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना, निधि की उपलब्धता, दिशानिर्देशों के अनुसार मांग बढ़ने और वार्षिक प्रचालन योजनाओं तथा प्रगति रिपोर्टों के तत्पश्चात प्रस्तुतीकरण के अधीन है।*

'विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों का आवंटन' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे और श्री ज्ञानेश्वर पाटील द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2501 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 'हरित भारत मिशन के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की गई निधि का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	आवंटित/जारी कुल निधि
1	आंध्र प्रदेश	2.02	-	-	-	-	2.02
2	अरुणाचल प्रदेश	13.43	21.28	-	-	-	34.71
3	छत्तीसगढ	6.12	-	0.09	-	2.74	8.95
4	हरियाणा	9.55	-	7.60	30.58	16.76	64.49
5	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	0.07	0.07
6	जम्मू और कश्मीर	-	6.49	-	4.50	-	10.99
7	कर्नाटक	4.45	2.93	2.33	4.99	0.88	15.58
8	केरल	-	-	-		8.49	8.49
9	मध्य प्रदेश	18.29	17.93	8.62	23.61	5.59	74.04
10	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	0
11	मणिपुर	9.93	5.45	8.91	-	3.06	27.35
12	मिजोरम	29.86	36.27	21.13	-	8.90	96.16
13	ओडिशा	17.74	8.4756	12.59	-	-	38.8056
14	पंजाब	3.32	2.7393	5.38	-	-	11.4393
15	सिक्किम	7.77	6.57	7.50	12.24	6.61	40.69
16	उत्तराखंड	33.99	28.40	31.94	25.16	-	119.49
17	पश्चिम बंगाल	-	0.76	0.76	-	-	1.52
18	उत्तर प्रदेश	-	-	5.43	-	3.30	8.73
कुल		156.47	137.29	112.28	101.08	56.4	563.52

** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को निधि जारी करना, निधि की उपलब्धता, जीआईएम दिशानिर्देशों के अनुसार मांग बढ़ने और वार्षिक प्रचालन योजनाओं तथा प्रगति रिपोर्टों के तत्पश्चात प्रस्तुतीकरण के अधीन है।*

'विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों का आवंटन' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे और श्री ज्ञानेश्वर पाटील द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2501 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

2021-22 से 2025-26 के दौरान बाघ और हाथी परियोजना नामक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की गई निधि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22 हाथी परियोजना	2022-23 हाथी परियोजना	2023-24 बाघ और हाथी परियोजना	2024-25 बाघ और हाथी परियोजना	2025-26 बाघ और हाथी परियोजना
1	आंध्र प्रदेश	20.5565	0	149.421	365.13	210.4
2	अरुणाचल प्रदेश	157.7615	65.81025	1119.9145	1767.99	1181.35
3	असम	126.716	167.4	2619.30784	3030.84438	2279.78
4	छत्तीसगढ	24.785	0	292.855	307.98951	249.78
5	झारखंड	86.682	78.05	405.785	727.556	0
6	कर्नाटक	261.195	97.8453	2613.0834	2801.267	1963.24
7	केरल	580.96765	270.09	996.22425	221.36725	640.86
8	महाराष्ट्र	0	28.524	2614.45167	4176.7048	2332.29
9	मेघालय	141.75	32.14	65.25	59.4	61.11
10	नगालैंड	279.759	235.575	337.77	305.442	319.46
11	ओडिशा	567.045	212.7695	1012.58764	919.57923	681.46
12	तमिलनाडु	181.8464	85.9405	2547.96648	2184.88357	1355.46
13	त्रिपुरा	0	7.36516	27.0855	14.68868	0
14	उत्तर प्रदेश	45.993	9.858	1031.9767	2075.10675	263.88
15	उत्तराखंड	244.12375	18.7415	1495.5241	1823.2319	681.26
16	पश्चिम बंगाल	87.8717	30.05	522.58101	425.94994	298.62
17	हरियाणा	4.2345	17.4	26.1	31.2	1.76
18	बिहार	0	0	308.9825	543.09678	275.69
19	राजस्थान	15.18	6.18609	968.3004	579.47723	591.78
20	मध्य प्रदेश	12.613	11.388	4303.794	5910.501	1939.82
21	मणिपुर	5.4	0	14.121	29.25	7.81
22	मिजोरम	0	0	144	367.08969	250.63
23	तेलंगाना	0	0	323.308	291.682	262.73
24	हिमाचल प्रदेश	0	0	19.61	40.572	2.75
	कुल	2844.48	1375.1333	23959.99999	29000	15851.92

**केंद्रीय प्रायोजित योजना हाथी परियोजना और केंद्रीय प्रायोजित योजना बाघ परियोजना का विलय कर दिया गया है और अब इसे केंद्रीय प्रायोजित योजना 'बाघ और हाथी परियोजना' के नाम से जाना जाता है।*